शिक्षा का अधिकार :- प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंधमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान

Year 2017-18

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
1	आनलाईन लाटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्रायवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा	अधिनियम मे किये गये प्रावधान अनुसार गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा 1 मे न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्कूल मे प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी/केजी–1/केजी–2 मे प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्रायवेट स्कूल मे प्री स्कूल की कक्षाओं और कक्षा 1 मे सीधे प्रवेश होता है तो दोनो मे सीधे प्रवेशित बच्चों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित सीटो पर प्रवेश होता है।
2	किस कक्षा में प्रवेश के लिए क्या उम्र निर्धारित है	• (राज्य शासन द्वारा प्रवेश के लिये बच्चों की उम्र 16 जून 2017 की स्थिति में निम्नानुसार निर्धारित की गई है) नर्सरीः– न्यूनतम आयु 03 वर्ष • साधारणतया कक्षा–1 के लिये न्यूनतम आयु शिक्षण सत्र अर्थात 16 जून 2017 के प्रारंभ होने के दिनांक को 06 वर्ष। लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नर्सरी प्री. प्रायमरी कक्षा में तथा 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दे सकेगा। यदि कोई बच्चा 16 जून 2017 की स्थिति मे 05 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो वह भी कक्षा–1 के लिये पात्र होगा।
3	उम्र का प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में क्या किया जा सकता है	जहॉ जन्म,मृत्यू तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिये निम्न इस संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज मान्य किये जायेंगे 1. अस्पताल/सहायक नर्स तथा ए-एन-एम- का रजिस्टर रिकार्ड 2. आंगनवाड़ी का रिकार्ड 3. पालक या अभिभावक द्वारा आयु का स्व-घोषणापत्र बर्शेते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
4	जाति एवं आय प्रमाण पत्र की बाध्यता है ऐसे पालक क्या करें जिनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं हैं \	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधितवर्ग के होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
5	यदि आवेदक आवेदन करने के उपरांत अपना एप्लीकेशन आईडी भूल गया है तो केसे प्राप्त कर सकते है?	आवेदन में पंजीकृत मोबाइल और पहले नाम से आवेदन फार्म खोजें के माध्यम से आवेदक अपना एप्लीकेशन आईडी प्राप्त कर सकते है। इसके लिये आवेदक को मोबाइल नंबर, अपना प्रथम नाम, जन्मतिथि दर्ज करना होगी।
6	मान्यता प्राप्त स्कूलों और रिक्त स्थानों की सूची कहा देखी जा सकती है ?	**आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय ग्राम/वार्ड/पड़ोस/विस्तारित पड़ोस के चयन उपरांत इन स्थानों के प्राइवेट स्कूलों तथा उनमें आर.टी.ई. के निःशुल्क प्रवेश हेतु रिक्त सीटों की जानकारी देखी जा सकेगी।**
7	किसी वार्ड] गाव में स्थित स्कूल में सीट्स रिक्त ना होने की स्थिति में बच्चे कहा प्रवेश ले सकते है?	किसी वार्ड या गांव में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रायवेट स्कूल में सीट रिक्त न होने की स्थिति में बच्चे पड़ोस,विस्तारित पड़ोस के स्कूलों में सीट रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश ले सकते हैं। पड़ोस की सीमा से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र मे वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो तो। इसी प्रकार विस्तारित पडोस की सीमा से अभिप्रेत है उपरोक्तानुसार पारिभाषित पडोस की सीमा के पडोस क्षेत्र।
8	निःशुल्क प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया में सहभागिता हेतु किन,-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?	आवेदनकर्ता द्वारा अन्य विद्यालय में च्वाइस फिलिंग करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि जिस कक्षा में प्रवेश चाहता है वह कक्षा उस विद्यालय की न्यूनतम कक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश चाहता है और विद्यालय की न्यूनतम कक्षा नर्सरी है। अतः आवेदक इस बात का भली-भांति समाधान कर ले कि वह जिस कक्षा में प्रवेश चाहता है वह विद्यालय कि न्यूनतम प्रथम प्रवेशित कक्षा है।
9	यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहा से सहायता प्राप्त कर सकते है?	किसी प्रकार की समस्या होने पर विकासखंड के बीआरसी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र /जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ईमेल अथवा दूरभाष अथवा स्वयं जाकर सहायता प्राप्त कर सकते है